न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 83/2012

1. मीरा देवी पत्नि ठाकरमल जाति सिन्धी निवासी रावला तहसील घडसाना।
2. राजकुमार पुत्र ठाकरमल जाति सिन्धी निवासी रावला तहसील घडसाना।
3. लक्ष्मी देवी पुत्री ठाकरमल जाति सिन्धी निवासी रावला तहसील)घडसाना जरिए मुख्तयार आम किशनलाल पुत्र ठाकरमल।
4. किशन लाल पुत्र ठाकरमल जाति सिन्धी निवासी रावला तहसील घडसाना।

--वादीगण--

बनाम

1. भजन लाल पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ ए ढाणी खरला तहसील श्री करणपुर।
2. सुरजीत सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ ए ढाणी खरला तहसील श्री करणपुर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,183 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16/7/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 ता 4 के पिता ठाकरमल पुत्र गोपाल दास का देहान्त दिनांक 09.02.1999 को वमुकाम खाजुवाला में हो चुका है। वादीगण ठाकरमल के जायज वारिसान है वादीगण के आलावा अन्य कोई ठाकर मल का वारिस नहीं है। गोपाल मल पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आये उन्हे पुर्नवास विभाग से चक 41 एफए में मु.न. 21 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 25 कुल 21 वीघा अन्य भूमि के साथ आवटित हुई। तत्समय रिफयुजी कॉर्ड में, जिसका इन्द्राज दिनांक 22.05.1954 को किया गया, गोपालमल के 4 जीव वसरमल पुत्र, ठाकरमल पुत्र, लच्छी पुत्री, सम्मा देवी पत्नि दर्ज थे। इनके आलावा अन्य कोई परिवार में नहीं था। लच्छी व वसरमल की मृत्यू वचपन में ही हो गयी थी। एवं सम्मादेवी की मृत्यू वादीगण की जानकारी से 90-91 में हुई। गोपालमल को आराजी मु.न. 21 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 25 वीघा भूमि चक 41 एफए में वतौर क्लेमैन्ट भूमि आवंटन हुई। इसके आलावा इसी मु.न. 21 के किला न. 5,6,15,16 कुल 4 वीघा भूमि जेठाराम पुत्र वचाराम को आवंटन हुई। वादीगण का दादा सीधा व्यक्ति था। और अक्सर भूमि काश्त स्वय नहीं करते थे। हिस्सा ठेका पर देकर भूमि काश्त करवाते थे। एक व्यक्ति गोपालमल पुत्र सावनमल ने उपर्युक्त आवटन में अपना नाम निस्फ भूमि 10.10 वीघा में दर्ज करवा लिया, आवटन आदेश व कब्जा आदेश में गोपाल की मृत्यू के उपरान्त उसकी पत्नि समा देवी के नाम से चक 41 एफ ए के मु.न. 21 के किला न. 3,8,13,18,23,4,714,17, 24 कुल 10 वीघा अन्य भूमि के साथ दर्ज खातेदार करवा दिया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में इन्तकाल संख्या 46 गोपलामल पुत्र सावनमल मु.न. 21 के किला न. 1,2,9 ता 12 व 19 ता 22 का तस्दीक करवाया एवं गोपाल मल की मृत्यू के उपरान्त इन्ही 10 वीघा का इन्तकाल जेठानन्द पुत्र गोपालमल के नाम से दर्ज करवाकर 10 वीघा का वेचान श्री मल सिंह प्रतिवादीगण के पिता को कर दिया जवकि किसी भी प्रकार से गोपालमल पुत्र सावनमल या उसके पुत्र जेठामल को कोई विधिक अधिकार विवादित भूमि में प्राप्त नहीं थे। ऐसे फर्जी राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार विवादित भूमि में प्राप्त नही होते है। जेठा राम पुत्र गोपाल मल के नाम को कोई व्यक्ति वादीगण के परिवार में नहीं था ना ही गोपाल मल पुत्र सावनमल नाम का कोई व्यक्ति ही था। जेठा राम पुत्र वचा राम मु.न. 21 के किला न. 5,6,15,16 चक 41 एफए में भूमि आवटन हुई थी। जिसका प्रतिवादीगण के परिवार से नहीं थां। काल्पनिक नाम जेठाराम पुत्र गोपालमल वनकर नाजायज इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में बिना क्षेत्राधिकार के करवाकर आराजी जेर बहस मु.न. 21 के 21 बीघा का कब्जा मल नाम के व्यक्ति जो कि प्रतिवादीगण का पिता है को दे दिया यह फर्जी तौर से अपने नाम भूमि का दर्ज करवाया गया हैं। उक्त भूमि गोपाल मल वादीगण के दादा के नाम रही इस समस्त तथ्यो से सावित होता है कि प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार विवादित आराजी में न तो है और ना ही थे। आराजी मु.न. 21 के 21 बीघा के एकमात्र खातेदार वादीगण स्वत ही है। इसलिये वादीगण अपने अधिकारो की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को समस्त सही स्थिति का ज्ञान होने के उपरान्त व्यक्तिगत रूप से मिलकर कई मरतवा निवेदन किया कि वे राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम डिलीट करवाकर वादीगण को खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवें एवं कब्जा भी वादीगण को मौका पर सुपुर्द करे तथा इस कार्यवाही के अंजाम तक विवादित आराजी को अन्य आगे किसी भी व्यक्ति को हस्तां. बैय ना करे। तथा ना ही भूमि को नुकसान पहुचाये लेकिन प्रतिवादीगण पूर्व में आज कल कहकर टालते रहे तथा अन्ततः 30.06.2012 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:- चक 41 एफ ए के मु.न. 21 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 25 कुल 5.313 हैक. अर्थात 21 वीघे भूमि वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से डिलीट किया जाकर वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। डिक्री दिलाये जाने कब्जा वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर उपर्युक्त वर्णित विवादित आराजी का कब्जा मौका पर वादीगण को प्रतिवादीगण का नाजायज अतिक्रमण हटाकर शांतिपूर्वक कब्जा दिलवाया जावे। व प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को आगे रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम प्रसाद शर्मा उपस्थित आए व जवावदावा पेश किया जवाव दावा के अनुसार जेठा राम उर्फ जेठानन्द ने अपने हिस्सा की आराजी दिनांक 07.07.1966 को प्रतिवादीगण के पिता मल सिह को जरिये रजिस्ट्री वैयनामा वेचान कर दी थी। प्रतिवादीगण विवादित भूमि के मालिक खातेदार है। विवादित भूमि सीमादेवी ने जरिए रजिस्ट्रर्ड वैयनामा दिनांक 21.05.1963 को प्रतिवादीगण के पिता मल सिह के हक में करवाया था। जिसका इन्तकाल दर्ज हो चुका है मल सिह की मृत्यू के वाद प्रतिवादीगण के नाम इस भूमि की खातेदारी हो चुकी है। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वादगत भूमि उनके पिता मल सिह के द्वारा खरीद की गई थी। वर्ष 1962-63 से लेकर आज तक वादीगण ने कोई कार्यवाही नही की दावा मियाद वाहर है। एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है दावा खारिज किया जावे। जवाव स्टेट पेश नहीं होने पर वन्द किया गया। वाद विन्दू कायम किए गए। निम्न वाद विन्दू कायम किए गए:-

1. आया कि क्या वादीगण चक 41 एफ ए के मु.न.21 के किला न. 1 ता 4, किला न. 7 ता 14, किला न. 17 ता 25 वीघा भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर खातेदार घोषित होकर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है? -वादीगण-
2. आया कि वादीगण विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का नाजायज अतिक्रमण हटाकर कब्जा प्राप्त करने के हकदार है? -वादीगण-
3. आया कि क्या प्रतिवादीगण के पिता के द्वारा विवादित भूमि जरिये पजीकृत वैयनामा से वर्ष 1962,1963,1966 से खरीद की हुई है। और उसी अनुसार प्रतिवादीगण वतौर उतराधिकारी खातेदार मालिक चले आ रहे है। वर्ष 1962 से लेकर आज तक वादीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए दावा मियाद वाहर होने के कारण खारिज योग्य है? -प्रतिवादीगण-
4. आया कि वाद पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है?

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

ादी हेतु कई अवसर दिए जाने पर साक्ष्यवादी बन्द की गईं। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा त करवाया गया कि वह साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

त्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र को साक्ष्य से सिद्व नहीं किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा भी अपने जवाब दावा में अकित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश की गई है। वादी का वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से वादी का वादपत्र अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पर्चा इस आश्य का जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

य आज दिनांक 16/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner